"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 जनवरी 2016—— पौष 24, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्रमांक 538/डी. 16/21-अ/प्रारू./छ.ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 7-01-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 3 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 (क्र. 22 सन् 2003) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम, 2003 (क्र. 22 सन् 2003), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 5 में,-

(एक) खंड (क) में, अल्प विराम चिन्ह "," के पश्चात्, शब्द "तथा" का लोप किया जाये.

(दो) खंड (ख) में, पूर्ण विराम चिन्ह "." के स्थान पर, अल्प विराम चिन्ह एवं शब्द ", तथा" प्रतिस्थापित किया जाये.

(तीन) खंड (ख) के पश्चात् , निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(ग) राज्य में परिवहन संरचना (नेटवर्क) का विकास करने हेतु."

धारा 6 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) में,-

(एक) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(चच) शासन के वित्त विभाग का भारसाधक सचिव   पदेन सदस्य;"

(दो) खंड (झ) में, पूर्ण विराम चिन्ह "." के स्थान पर, कोलन चिन्ह":" प्रतिस्थापित किया जाये.

(तीन) खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से किसी व्यक्ति को सलाहकार समिति की किसी बैठक में विशेष आमंत्रिती (स्पेशल इनवाईटी) के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा."

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2016

क्रमांक 538/डी. 16/21-अ/प्रारू./छ.ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-01-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 3 of 2016)

CHHATTISGARH MINERAL DEVELOPMENT FUND (AMENDMENT) ACT, 2015

An Act to amend the Chhattisgarh Mineral Development Fund Act, 2003 (No. 22 of 2003).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Mineral Development Fund (Amendment) Act, 2015. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Section 5 of the Chhattisgarh Mineral Development Fund Act, 2003 (No. 22 of 2003), (hereinafter referred to as the Principal Act),- **Amendment of Section 5.**

(i) In clause (a), after the punctuation comma ",", the word "and" shall be omitted.

(ii) in clause (b), for the punctuation full stop ".", the punctuation comma and word ", and" shall substituted.

(iii) after clause (b), the following shall be added, namely :-

"(c) the development of transport network in the State."

3. In sub-section (3) of Section 6 of the Principal Act,- **Amendment of Section 6.**

(i) after clause (f), the following shall be inserted, namely :-

"(ff) Secretary in-charge to Government, Finance Department.	Ex-officio Member;"

(ii) in clause (i), for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted.

(iii) after clause (i), the following shall be inserted, namely :-

"Provided that any person may be invited as Special Invitee for any meeting of the Advisory Committee with the approval of Chairman of the Advisory Committee."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.